अनुसूची 21—फार्म सं० 113

1351 5479

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 19.. आवेदन सं० 5581 19.. 5-4-79

मुद्रित की Naresh Mahto

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निर्धारित संभरणाओं और अवभारों का संनिवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये कथन के अनुसार विवरण दे।)

तालिका में अंकों द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को, उसमें आगे संलग्नकों और अवभारों के यहाँ से नहीं से और उसमें उपबंध अनुसूचियों में का० 2006 को 19.. Asha Dhanu ठक मजाती की गयी और ऐसी उत्तासी के बाद निम्न संलग्नकों और अवभारों का पता चला

चला है कि: संपत्ति ऋण अवभार लंबुक्त है।

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	पृष्ठ	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza — Jalalpur.							
	Sub Plot No — 150 & 156.							
	Khata No — 184 & 186.							
	Thana No — 22.							
	Tauzi No — 5170							
	Area of Plot — 5 Katha 11 Dhur.							
	Boundaries: —							
	North — Dasrath Singh & Part P.No-1							
	Sath — Part Plot No-156 & Sanjay Singh							
	East — Kamal Deo Singh & others.							
	west — Road.							

Scanned by CamScanner

...विवरण दर्ज करें।

...ऐसे किसी व्यवहार को छोड़ देना और भुगतान की अवधि दर्ज करें। यदि ऐसे कोई व्यवहार नहीं हुआ है।

...ऐसे व्यवहार को छोड़ने की अवधि और पर्याप्त कारण दर्ज करें।

यह प्रमाणित करता है कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का उसे पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(नाम): U.C

(पदनाम):

इससे यह सत्यापन और प्रमाण पत्र आज निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): Shailesh

(पदनाम): U.P.C

कार्यालय: Danapur

तारीख: 5-4-19.

5-4-19.

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निर्बंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रगणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (पार्टियाँ) और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रतियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। निर्धारित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणिकाएँ उनके पास सामने रखदी जायेंगी।

(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलाशी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है, और चूंकि इसके बाद हुई गयी संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा छूटे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक दानापुर

ज्ञान संख्या 1307 दिनांक 5-4-19

आवेदक श्री Mr. Naresh Mahto

का सत्यापन प्रमाण-पत्र द्वारा L.I.C Housing Finance (Patna)

का उनके पत्र संख्या..... दिनांक..... के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी,

SPL-40429-200/03

Scanned by CamScanner